न्यायालय :– विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्ल्यू.)/अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर (म.प्र.)

(पीठासीन अधिकारी : अनीता सिंह)

प्रतिभूति आवेदन कमांक 2551/2026
सीएनआर नं.–एमपी0901–052637–2026
फायलिंग नं.–45026–2026
रजि. दिनांक–11.07.2026

कुनाल पिता कमलसिंह भिलाला,
आयु 18 वर्ष, धंधा–विद्यार्थी,
निवासी–ग्राम पोस्ट सवांसडा,
जिला–राजगढ (म.प्र.)

––– **आवेदक/आरोपी**

//विरूद्ध//

मध्यप्रदेश शासन द्वारा
पुलिस थाना परदेशीपुरा,
इंदौर म.प्र. ––– **अभियोगी**

———————————————————————————

14.07.2026

राज्य की ओर से श्री जयंत दुबे अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

आवेदक/आरोपी की ओर से श्री मनीष गोयल अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण प्रतिभूति आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

उभयपक्ष के प्रथम प्रतिभूति आवेदन पर तर्क श्रवण किये गये।

आवेदक/आरोपी का धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रथम प्रतिभूति आवेदन पत्र है। इस संबंध में आवेदक/आरोपी की ओर से श्रीमती शिला भिलाला का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदक/आरोपी का प्रतिभूति आवेदन संक्षेप में इस है कि पुलिस द्वारा उसे दिनांक 21.06.2026 को गिरफतार कर मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आवेदक/आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है उसे अकारण झूठा फंसाया गया है। आरोपी का घ ाटना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। पुलिस को अब अनुसंधान में आरोपी से किसी प्रकार की कोई जप्ती नहीं करना है। अभियोक्त्री के द्वारा उसके विरुद्ध असत्य आधारों पर प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। प्रकरण के

अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। आवेदक/आरोपी इंदौर म.प्र. का स्थाई निवासी होकर उसकी समस्तचल अचल संपत्ति इंदौर शहर में होने से उसके कहीं भागने एवं फरार होने की संभावना नहीं है। यदि आवेदक/आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह माननीय न्यायालय द्वारा पारित समस्त आदेशों एवं निर्देशों का पालन करेगा एवं नियत दिनांकों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। प्रतिभूति पर मुक्त होने पर न्यायालय की शर्तों का पालन करता रहेगा इसलिए उसे प्रतिभूति पर मुक्त किया जावे।

आवेदक/आरोपी की ओर से आवेदन के समर्थन में फेहरिस्त अनुसार दस्तावेज पेश किये गये।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने तर्क में व्यक्त किया है कि आरोपी ने गंभीर अपराध कारित किया है। अतः आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जाए।

अभियोजन कहानी अनुसार पीडित अभियोक्त्री जिला इंदौर में निवास करती है। आरोपी कुणाल द्वारा पीडिता को कहा जाता था कि वह पीडिता से प्यार करता है एवं उससे विवाह करेगा। पीडिता एवं आरोपी की बातचीत होती रहती थी। पिछले करीब 7 माह से पीडिता अपनी नानी के यहां इंदौर में रह रही है। दिनांक 17.12.2025 को आरोपी पीडिता से मिलने इंदौर आया और उसे घूमने की बोलकर अपने साथ ले गया और होटल के कमरे में ले जाकर शादी का झांसा देकर पीडिता के साथ गलत काम (बलात्कार) किया, फिर आरोपी कुणाल पीडिता को उसकी नानी के घर छोडकर चला गया। दिनांक 30.01.2026 को आरोपी ने पीडिता को फोन करके बोला कि उससे मिलने पचौर आ जा नहीं आई तो उसके वीडियो वायरल कर उसे बदनाम कर देगा। पीडिता डर के कारण अपनी नानी को बिना बताये आरोपी कुणाल के कहे अनुसार ट्रेन में बैठकर पचोर आ गई। वहां से आरोपी पीडिता को राजगढ ले गया। आरोपी द्वारा पहले से ही कमरा किराये पर ले रखा था। वहां पर पीडिता एवं आरोपी 6 माह तक लिव इन में रहे और उनके बीच पति पत्नी जैसे संबंध रहे। इस बीच पीडिता द्वारा आरोपी से विवाह का कहा जाता तो आरोपी द्वारा कहा जाता कि अपन साथ में रह रहे है शादी कभी भी कर लेंगे और टालता रहता था। अब आरोपी कुणाल पीडिता से विवाह नही कर रहा है और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। दिनांक 14.06.2026 को पीडिता राजगढ आ गई

और सारी बातें अपनी माता एवं पिता को बताई। पीडिता की नानी ने दिनांक 01.02.2026 को थाना परदेशीपुरा पर पीडिता के गुम होने की रिपोर्ट लिखा दी थी।

पीडित अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र परदेशीपुरा जिला इंदौर के अपराध क्रमांक 351/2026, धारा 69, 87, 351(3) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

केस डायरी का परिशीलन किया गया।

केस डायरी के परिशीलन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर पीड़ित अभियोक्त्री को विवाह का मिथ्या वचन देकर उसे पूरा करने के आशय के बिना बार–बार मैथुन करने तथा जान से मारने की धमकी दिए जाने के अभियोग हैं। आवेदक/अभियुक्त पर लगाये गये अभियोग की प्रकृति, पीडित के कथन एवं अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत की गई सामग्री को देखा गया। आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को भी देखा गया। आरक्षी केन्द्र परदेशीपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक क्यू/26 दिनांक 13.07.2026 में प्रतिवेदित तथ्यों पर भी विचार किया गया। उपरोक्त संदर्भित तथ्यों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने के आधार गठित नहीं होते है। परिणामतः यह जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य न होने से **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रतिलिपि सहित तथा केस डायरी संबंधित को वापस की जाकर पावती ली जावे।

प्रकरण का परिणाम विधिवत सी.आई.एस. में दर्ज किया जाकर, प्रकरण पत्रावली अभिलेखागार जिला न्यायालय इंदौर में जमा किया जावे।

अनीता सिंह
विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्ल्यू),
अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश,
इंदौर म.प्र.

प्रतिलिपि :–

1– न्यायालय श्री .....
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इंदौर

2— थाना प्रभारी, आरक्षी केन्द्र परदेशीपुरा इंदौर, की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित।

अनीता सिंह
विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्ल्यू),
अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश,
इंदौर म.प्र.

ANITA SINGH
Digitally signed by ANITA SINGH
Date: 2026.07.14 17:57:59 +0530